



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-02, महाराजगंज।
उपस्थित: अलख कुमार, एच.जे.एस.
आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या-159/2026
UPMH010026312026

शिवा यादव पुत्र केदार यादव निवासी लक्ष्मीनगर टोला बैकुण्ठपुर, थाना सोनौली जिला
महाराजगंज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या-31/2026
धारा-8/22/23/29 NDPS Act
थाना-सोनौली
जिला-महाराजगंज

निस्तारण आपराधिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र

07.09.2026

आवेदक/अभियुक्त शिवा यादव पुत्र केदार यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 31/2026, धारा-8/22/23/29 NDPS Act, थाना-सोनौली, जिला- महाराजगंज में यह आपराधिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और उनके द्वारा इस प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के पूर्व ही, इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि उक्त प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है।

अतः आवेदक की ओर से बल न दिये जाने के कारण यह आपराधिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र निस्तारित किये जाने योग्य है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त शिवा यादव पुत्र केदार यादव की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या-159/2026, अन्तर्गत धारा-8/22/23/29 NDPS Act, थाना-सोनौली, जिला- महाराजगंज बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

दिनांक:07.09.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर-यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-2,
महाराजगंज।